न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं037/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.
छोटू पुत्र श्योबक्स जाति मीना निवासी लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
... प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई दौसा जरिये परियोजना निदेशक, कार्यालय रावत पैलेस के पीछे, आगरा रोड दौसा जिला दौसा राज0
2. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन नांगल राजावतान जिला दौसा
3. शम्भूदयाल पुत्र गंगाराम
4. सीताराम पुत्र लट्या
5. कल्याणसहाय पुत्र लट्या
6. नवलकिशोर पुत्र रामधन
7. लूणकरण पुत्र रामधन
8. मुकेश पुत्र रामधन
9. रामप्रसाद पुत्र रामधन

समस्त जाति मीना निवासी लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत निरस्त किये जाने अवार्ड जो भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान ने ग्राम लाहडी का बास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 321 सिवायचक में स्थित पेडो के मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

उपस्थित– 1. श्री चरण सिंह डोई, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से (अनुपस्थित)
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामेश्वर बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा ग्राम लाहडी का बास के खसरा नंबर 321 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से न्याय हित में उनके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। मुताबिक प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार एन. एच. 148 एन. के दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे, तहसील नांगल राजावतान में स्थित भूमि खसरा नम्बर 321 सिवायचक भूमि व भूमि में स्थित पेड़ो की अवाप्त कर अवाप्त की कार्यवाही करते हुए खसरा नम्बर 321 सिवायचक भूमि में स्थित फल देने वाले व फल न देने वाले पेडो के मुआवजे का निर्धारण प्रार्थी के हित में न करते हुए केवल अप्रार्थी संख्या 3 लगा0 9 के पक्ष में कर दिया है, जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला० 9 की कब्जे काश्त की शामलाती भूमि वाके ग्राम लाहडी का बास

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

तह० नांगल राजावतान में खसरा नम्बर 321 स्थित है। उक्त भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन बडोदरा से दिल्ली में अवाप्त की गई तथा उक्त भूमि में स्थित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के शामलाती फल देने वाले तथा फल न देने वाले पेडो को भी अवाप्त किया गया है। अवाप्त अधिकारी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 321 सिवायचक में स्थित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के शामलाती फल देने व फल न देने वाले पेडो को अवाप्त किया गया, जिस पर फल न देने वाले पेडो का क्रमांक 1521 ला0 1540 कायम कर लगभग 51 पेड अवाप्त कर उनका मुआवजा 32948/—रूपये में निर्धारण किया गया तथा फल देने वाले पेडो का नम्बर एन.आर.एफ.टी. 1347 से 1537 कायम कर लगभग 186 पेड विभिन्न किस्म के फल देने वाले अवाप्त कर उनका मुआवजा 27,63,248/— रूपये का निर्धारण किया जाकर कुल मुआवजा 32948+2763,248/—रूपये कुल 2796196/—रूपये निर्धारण कर अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के पक्ष में कर दिया गया जबकि प्रार्थी का भी उक्त भूमि में 1/6 हिस्से अनुसार शामलाती में कब्जा काश्त रहा है और मौके पर स्थित पेडो में प्रार्थी के हक अधिकार निहीत है इसलिए कुल मुआवजा में भी अनुसार मुआवजे का हक अधिकार निहीत है लेकिन अप्रार्थी नम्बर 3 ला0 9 ने अवाप्त अधिकारी से मिलीभगत करके प्रार्थी का 1/6 हिस्से प्रार्थी के हिस्से के पेडो की मुआवजा राशि का निर्धारण प्रार्थी के पक्ष में नही कर अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के पक्ष में करवा लिया जो कि कानूनन गलत है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 321 के संबंध में एक दावा अधिघोषणा का अप्रार्थी संख्या 3 ला० 9 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थी बतौर प्रतिवादी नम्बर 2 पक्षकार है। उक्त दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के यहां वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त दावा में ही अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 ने उक्त वर्णित भूमि व भूमि में स्थित पेडो व मकान में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा स्वीकार किया है था मौके पर भी प्रार्थी का कब्जा स्वीकार करते हुए उक्त भूमि में स्थित पेडो पर भी प्रार्थी का हिस्सा स्वीकार किया तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर 321 को अवाप्त की गई है, उसका मुआजवा तथा भूमि में स्थित पेडो का मुआवजा भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला० 9 को दिलवाया जाना स्वीकार किया है तथा उक्त दावा में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के पक्ष में उक्त भूमि व भूमि में स्थित पेडो का मुआवजा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के पक्ष में देने का अनुतोष चाहा गया है लेकिन अवाप्त अधिकारी ने खसरा नम्बर 321 में स्थित पेडो की मुआवजा राशि का निर्धारण करते समय प्रार्थी के पक्ष में मुआवजे का निर्धारण न करके अन्य हिस्सेदार अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के पक्ष में कर दिया जो गलत है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के पूर्वजो द्वारा साबिक खसरा नम्बर 96 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदी थी जिसके सैटलमेंट विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 320 रकबा 0.66 है० खसरा नम्बर 567 रकबा 0.11 है० खसरा नम्बर 568 रकबा 0.14 है0 कुल रकबा 0.92 है० भूमि दर्ज की गई है लेकिन सैटलमेंट के अधिकारियो ने साबिक नम्बर 96 के हाल खसरा नम्बर 320, 567,568 की हाल नक्शा शीट साबिक नम्बर 96 के अनुसार नही बनाई गई। सैटलमेंट विभाग ने हाल खसरा नम्बर 320 रकबा 0.66 है० की जगह वर्तमान नकशाशीट में 0.47 है0 ही दर्ज रकवा किया गया है। नक्शा शीट में खसरा नम्बर 0.66 की जगह 0.19 है० कम अर्थात 0.47 है0 ही पैमाईश मे बैठता है। कुल रकबा 0.92 की जगह 0.72 है० ही हाल नक्शा शीट पैमाईश के अनुसार बैठता है। अर्थात 0. 19 है० भूमि साबिक नक्शा शीट के अनुसार है० कम की गई भूमि भूमि सैटलमेंट विभाग के अधिकारियो ने अलग खसरा नम्बर 321 दर्ज कर सरकारी खाते में सिवायचक गलत रूप से दर्ज कर दी इसलिए अधिघोषणा का दावा उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के यहां विचाराधीन है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 संयुक्त रूप से पूर्व के अनुसार खसरा नम्बर 321 पर काबिज काश्त चले आ रहे है और खसरा नम्बर 321

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

वाली भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 संयुक्त रूप से शामलाती में काबिज रहकर पेड पौधे लगा रखे थे, जिनको अवाप्त अधिकारी ने अवाप्त कर अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए मुआवजे का निर्धारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला० 9 के पक्ष में नही करके केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 3 ला० 9 के पक्ष में कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नही हो सकी। जब अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त किये गये पेडो की अवार्ड राशि जारी की तब प्रार्थी को चला कि प्रार्थी के नाम किसी भी तरह का कोई अवार्ड पारित नही किया गया है। तब प्रार्थी ने जाकर अवाप्त अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र लेने से इंकार कर दिया इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 321 सिवायचक में स्थित प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के शामलाती पेडो की मुआवजा राशि 27,96,196/– रूपये का निर्धारण अप्रार्थी संख्या 3 ला0 9 के पक्ष में किया गया है, को निरस्त कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 ला0. 9 के पक्ष मे मुआवजा राशि का निर्धारण करके प्रार्थी को भी उक्त वर्णित शामलाती पेडो की मुआवजा राशि में से अपने हिस्सा 1/6 के अनुसार मुआवजा राशि वितरित किये जाने के आदेश फरमावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस में कथन किया कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 190.360 कि. मी. से 203.240 कि.मी. (दिल्ली – बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अवाप्ति के के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 170.8 कि.मी. से 210 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 8 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या का.आ. 4116 (अ) दिनांक 21.08. 2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08. 2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका व राष्ट्रदूत में दिनांक 09.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया जो निम्नानुसार है:–

ग्राम लाहडी का बास

कसं.	सर्वेक्षण सं0	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
136	321	निजी	चाही 3/ जाव 3	0.14है0	0.14

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस वे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 5944 (अ) दिनांक 29.11.2018 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 01.12. 2018 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व समाचार जगत दोनो में दिनांक 19.12. 2018 के अंको में प्रकाशित किया गया, जो निम्नानुसार है :–

ग्राम लाहडी का बास

कसं	सर्वेक्षण सं0	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भू स्वामी/हित बद्ध व्यक्तियों के नाम
306	321	निजी	चाही 3/ जाव 3	0.14	राज.सरकार

उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें कि भूमि खसरा नम्बर 321 की 0.14 हैक्टेयर किस्म चाही 3/जाव 3 ग्राम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) एवं 3 (डी) के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा खसरा नम्बर 321 की 0.14 हैक्टेयर किस्म चाही 3/जाव 3 ग्राम लाहडी का बास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्व रिकॉर्ड में राज. सरकार की कृषि भूमि दर्ज थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकरी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित भवन, छायादार वृक्षों, फल देने वाले वृक्षों व फसल आदि की मुआवजा राशि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर छायादार वृक्षों के बाजार मूल्य मूल्यांकन का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में अर्जित भूमि पर स्थित छायादार वृक्षो का मूल्यांकन वन विभाग (Forest Department) से कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट के पत्र संख्या 592 द्वारा तथा फलदार वृक्षों के बाजार मूल्य मूल्यांकन का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षो का मूल्यांकन बागवानी विभाग से कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट के पत्र संख्या 1071–73 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को उपलब्ध करायी गयी [illegible] के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित छायादार वृक्षों तथा फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि तथा हितबद्ध व्यक्ति के हक में नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्धारित की गयी है। अब प्रार्थी किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दौसा जिले की नांगल राजावतान तहसील के ग्राम लाहडी का बास के खसरा नम्बर 321 मे अवाप्त की गई भूमि का सर्वे करवाकर के अवाप्ताधीन भूमि पर स्थित फल न देने वाले वृक्षो गणना पर्चा खतौनी के क्रमांक 1521 से 1540 के अनुसार कुल 51 पेडों की मुआवजा राशि 32,948/–रूपये तथा पेडों का नम्बर एन.आर.एफ.टी. 1347 से 1537 कायम कर लगभग 186 पेड विभिन्न किस्म के फल देने वाले वृक्षों की की मुआवजा राशि 27,63,248/–रूपये हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दिया गया है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है । लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके, ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है। जो विधि सम्मत् एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र असत्य एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित करते हुए प्रस्तुत किया गया है जो कि विशेष हर्जा – खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान के द्वारा ग्राम लाहडी का बास स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 321 का मुआवजा अवार्ड आदेश पूर्णतया विधि के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत एन.एच.148 एन निर्माण में तहसील नांगल राजावतान के राजस्व ग्राम लाहडी का बास स्थित भूमि खसरा नंबर 321 में से भूमि अवाप्त की गई है। भारतमाला परियोजना के तहत अवाप्त भूमि, संरचना व पेडों का मुआवजा निर्धारण एन.एच.ए.आई. के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग की टीम, उधान विभाग, वन विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किये गये सर्वे के उपरांत खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम से मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अवार्ड तैयार कर मुआवजा राशि का निर्धारण करते हुए अवार्ड जारी किया गया है। अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि का वितरण हितबद्ध व्यक्ति को किया गया है। उक्त खसरा नंबर में स्थित पेडों की मुआवजा राशि का वितरण जारी अवार्ड अनुसार हितबद्ध व्यक्ति को किया जा चुका है।

7. उक्त प्रकरण में प्रार्थी का यह कथन है कि जो मुआवजे का निर्धारण अप्रार्थी सं0 3 से 9 के पक्ष में किया गया है उसमें प्रार्थी का भी हिस्सा शामिल है। अतः उक्त कब्जे काश्त में स्थित पेडों में प्रार्थी का भी हक अधिकार समाहित है। धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे उक्ट 1956 के तहत निर्धारित किये गये मुआवजे में किसी पक्षकारान को किसी प्रकार का विवाद है तो उसका निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आर्बिट्रेटर की हैसियत से किया जाता है। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की मांग की जा रही है जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई विधिक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इसका निर्णारण धारा 3 जी (5) के तहत नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्र[illegible] खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजा[illegible] प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 17 ग्राम बाढ डाबरकलां पारित मुआवजा अ[illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति प[illegible]र हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:10 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्ष्म न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:10 IST
Reason: SelfAttested